आजादी का अमृत महोत्सव
संख्या-3471/चार-2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांकः04अगस्त, 2023**

विषयः-आजादी अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अन्तर्गत 'मेरी माटी,मेरा देश' एवं 'हर घर तिरंगा' 2023 अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम के अन्तर्गत **'मेरी माटी,मेरा देश' (**09 से 30 अगस्त,2023) एवं **हर घर तिरंगा (**13 से 15 अगस्त,2023) अभियान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन सहभागिता के साथ मनाया जाना है। इस संबंध में **'मेरी माटी मेरा देश'** अभियान हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में शासनादेश संख्या-3322/चार-2023 दिनांक 31.07.2023 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

2- विदित है कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ के अवसर पर विगत वर्ष **'हर घर तिरंगा'** कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2022 तक उल्लास एवं गरिमा के साथ प्रदेश के 5.25 करोड़ आवासित घरों/सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा फहराते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों ने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया था।

3- सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी 13 से 15 अगस्त, 2023 तक उसी उत्साह एवं राष्ट्रीयता की भावना से हर घर तिरंगा अभियान चलाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जाग्रत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है।

4- दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2023 के मध्य प्रदेश में ''हर घर तिरंगा'' कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जानी हैः-

i. **''हर घर तिरंगा''** कार्यक्रम प्रत्येक सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, शिक्षकगण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न नागरिक संगठनों आदि के सहयोग से क्रियान्वित किया जाये।

ii. ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित विभाग द्वारा जागरूकता सत्र का आयोजन करते हुए ग्राम प्रधानों को शत-प्रतिशत घरों, दुकानों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों,आंगनबाड़ी केन्द्रों,राशन की दुकानों,नलकूपों इत्यादि पर झण्डा फहराने हेतु प्रेरित किया जाये। नगरीय एवं पंचायत स्तर पर लोगों को झण्डा क्रय करने एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित किया जाये।

iii. जनपद के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में झण्डा के वितरण/बिक्री हेतु केन्द्रों को चिन्हित कर जनपद की समस्त सरकारी राशन की दुकानों को झण्डा वितरण एवं बिक्री केन्द्र के रूप में प्रयोग किया जाये।साथ ही जनपद मुख्यालय के मुख्य डाकघरों से भी झण्डा क्रय किया जा सकता है।

iv. गत वर्ष की भाँति 20"x 30" आकार के झण्डे का अनुमानित मूल्य 20 से 25 रुपये/प्रति नग होगा।झण्डों का निर्माण झण्डा संहिता में निर्धारित आकार, अनुपात एवं रंग के अनुरुप कराया जाये।

v. जनपद के समस्त सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, रेस्टोरेन्ट, शॉपिंग काम्पलेक्स, टोल प्लाजा, पुलिस चौकी/थाना इत्यादि को इस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से झण्डा फहराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

vi. बैनर, पम्पलेट, स्टैण्डी, होर्डिंग्स एवं अन्य उपयुक्त माध्यमों से स्थानीय भाषा एवं बोली में कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

vii. परिवहन निगम की समस्त बसों, निजी बसों, ट्रकों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों तथा सरकारी वाहनों में **''मेरी माटी, मेरा देश''**के साथ-साथ **''हर घर तिरंगा''**कार्यक्रम का संदेश भी स्टीकर अथवा अन्य माध्यम से लगाया जाये।

viii. जनपद स्तर से पंचायत स्तर तक विभिन्न स्तरों पर गतवर्ष की भांति नोडल अधिकारीगण के साथ-साथ पर्यवेक्षकों की भी तैनाती प्रत्येक विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर की जाये तथा विभिन्न स्तरों पर इसकी नियमित समीक्षा की जाये।

ix. सभी प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में ''पैरेन्ट-टीचर मीटिंग'' के माध्यम से कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी सभी को जानकारी दी जाये।

x. ''हर घर तिरंगा'' कार्यक्रम का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार सूचना विभाग के माध्यम से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में L.E.D. VAN द्वारा एवं सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, केबिल नेटवर्क, स्थानीय सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से फ्लायर, वीडियो अपील, रेडियो जिंगल आदि के द्वारा किया जाये।

xi. **'हर घर तिरंगा'** कार्यक्रम हेतु जनपद के समस्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षामित्रों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आँगनबाड़ी कर्मियों, आशा बहुओं आदि को पूर्व की भांति निर्धारित दायित्व दिया जाये तथा उक्त दायित्वों के निर्वहन की जिलाधिकारी स्तर पर नियमित समीक्षा की जाये।

xii. मा0 जनप्रतिनिधिगण के साथ भी पृथक से बैठक कर उन्हें कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दे दी जाये।

xiii. समय-समय पर प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार, जन-जन जागरूकता एवं तैयारियों के संबंध में जानकारी भी दी जाये।

xiv. दिनांक 09 से 12 अगस्त, 2023 के मध्य जनपद के समस्त घरों, दुकानों, कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी परिसरों में झण्डों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर ली जाये।

xv. गृह विभाग सुनिश्चित करे कि पुलिस विभाग के पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्रियाशील रहे, दिनांक 13 अगस्त, 2023 से 15 अगस्त, 2023 के मध्य झण्डा गीत, राष्ट्रीय गीतों के साथ ही साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचनाओं का प्रसारण होता रहे।दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2023 के मध्य गृह विभाग शहीद स्मारकों पर राष्ट्र धुन के साथ पुलिस / पी0ए0सी0 बैण्ड का वादन किया जाये।

xvi. समस्त विभागों की वेबसाइट पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' की वेबसाइट amritmahotsav.nic.in का लिंक डिस्प्ले होता रहे।

xvii. दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2023 तक समस्त सरकारी भवनों में तिरंगा लाईटिंग करायी जाये ।

xviii. नगर विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग जिलाधिकारीगण से समन्वय करते हुये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आवासित घर में झण्डा फहराया जाये। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समस्त स्थलों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए साईनेज लगवाये जायें।

xix. समस्त शिक्षण संस्थाओं में हर घर तिरंगा से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त आयोजन के सम्बन्ध में शासन से निर्गत निर्देशों का प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी पूर्ण रूप से पालन किया जाये।

xx. भाषा विभाग द्वारा लखनऊ से बाहर प्रदेश के अन्य अंचलों में भी आँचलिक भाषा में राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत कवि सम्मेलन एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जाये ।

xxi. प्रदेश के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों एवं उनसे जुड़े छात्रावासों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की कार्ययोजना का पूर्णतया पालन किया जाये ।

xxii. ग्राम विकास विभाग/पंचायती राज विभाग / नगर विकास विभाग सुनिश्चित करें कि शत- प्रतिशत अमृत सरोवरों पर झण्डा फहराया जाये ।

xxiii. सेल्फी/रील्स/वीडियो/झण्डे के साथ फोटो अथवा देशभक्ति/झण्डा गीत के साथ वीडियो अभियान से जुड़ी बेवसाइट- merimaatimeradesh.gov.in पर अपलोड करने हेतु आम-जनमानस को प्रेरित किया जाये।

4- योजना का कार्यान्वयनः

(1) कार्यक्रम में "**हर घर तिरंगा**"कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा झण्डा संहिता में विगत वर्ष संशोधन किया गया है। **(संलग्नक-1)**

(2) प्रत्येक नोडल का यह दायित्व होगा कि हर घर झण्डा फहराने हेतु नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि तथा अन्य जानकारियों से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाये। **(संलग्नक-2)**

(3) प्रत्येक जनपद को गतवर्ष की भांति हाउस होल्ड के अनुसार झण्डा फहराने का लक्ष्य संलग्न है।**(संलग्नक-3)**

- उपरोक्त अभियान के प्रभावी समन्वय हेतु जनपदों द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप एवं गूगल फार्म लिंक के माध्यम से https://culturalevents.in/merimatimeradesh/ दिनांक 05 अगस्त, 2023 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

'मेरी माटी, मेरा देश' एवं **'हर घर तिरंगा'**अभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गत वर्ष की भाँति निम्नानुसार समिति गठित की जाती हैः-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
पुलिस आयुक्त द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त वरिष्ठ पुलिस/ पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक	उपाध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद	सदस्य
मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
जिला विकास अधिकारी	सदस्य
जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य

जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
उप निदेशक जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
उप निदेशक, पर्यटन अधिकारी/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी	सदस्य
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
कार्यक्रम अधिकारी(एकीकृत बाल विकास योजना)	सदस्य
जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य
परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
प्राचार्य, आई0टी0आई0	सदस्य
जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य
समन्वयक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	सदस्य
समन्वयक, नागरिक सुरक्षा संगठन	सदस्य
एन0सी0सी0 के अधिकारी/एन0एस0एस0 के समन्वयक	सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित उद्योग मण्डलों/व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधिगण	सदस्य
जिला पंचायतीराज अधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्तानुसार गठित समिति के सदस्यों की सूची दृष्टान्त के रूप में है। जिलाधिकारी अपनी सुविधानुसार इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इसी प्रकार से समितियों का गठन करा लिया जाए जिसमें जिला स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाये।

अतएव उपरोक्त निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में व्यापक जनसहभागिता से ''**मेरी माटी मेरा देश**'' एवं '**हर घर तिरंगा**' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
[signature] ..08/23.
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29 जुलाई, 2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
(उमा द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

No24957 ..../MS/SECY G...

गोविंद मोहन
सचिव
Govind Mohan
Secretary

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली–110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NEW DELHI-110 001

प्र०स०, संस्कृति

D.O. No. Misc./Secy(C)/2023

July 29, 2023

29 (दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

Dear Shri Mishra,

'Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM)' is a flagship initiative of the Government of India, which has been launched to commemorate 75 years of India's independence.

2. Under the aegis of AKAM, 'Har Ghar Tiranga' campaign was launched from 13th to 15th August 2022 to encourage the citizens to hoist the National Flag of India in their homes. The idea behind the campaign was to instill the feeling of patriotism in the hearts of people and reminisce the journey of India and those who have contributed towards creating this great nation. This campaign witnessed immense success wherein 23 Crore households hoisted the Tiranga in their homes physically and 6 Crore people uploaded Selfies on Har Ghar Tiranga website.

3. This year as well the Har Ghar Tiranga campaign will be organized encouraging the people to celebrate India's Independence Day with same zeal and patriotism from 13th to 15th August, 2023. In this regard, it may be ensured that adequate supply of flags is made available and necessary arrangements are made to ensure successful implementation of the campaign at rural and urban areas. People may be encouraged to put selfie with Tiranga on the website www.harghartiranga.com. Adequate outreach of this campaign on various social media platforms may be ensured.

4. It is requested to indicate demand for Har Ghar Tiranga Campaign this year. Further, a nodal officer for co-ordinating the Har Ghar Tiranga campaign may be nominated at Senior level. Details of Nodal officer for coordinating supply of flags from Ministry of Textiles is as under:

Shri Gaurav Kumar, Economic Advisor
Mobile No: - 9899028011
Email ID: - kumar.gaurav@gov.in

With regards,

Yours sincerely,

(Govind Mohan)

Shri Durga Shanker Mishra,
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow

Room No. 502, 'C' Wing, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Phone : +91-11-23381040, 23386995, E-mail : secy-culture@nic.in

File No. 02/01/2020-Public (Part-III)
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Public Section)
******

North Block, New Delhi
Dated 30th December, 2021

ORDER

Subject: Amendment in the Flag Code of India, 2002- Reg.

The use/display/hoisting of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. With the approval of the Competent Authority, paragraph 1.2 of Part-I of the Flag Code of India, 2002 has been amended and it shall be read as under :-

"1.2 The National Flag of India shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting".

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

To

The Chief Secretaries/Administrators of
All State Governments/UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice – President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

संलग्नक–2

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

- झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।
- इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।
- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।
- झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।
- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

झण्डा फहराने के नियम

- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।
- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
- दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

संलग्नक–4

2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के गांवों, नगर, घर एवं जनसंख्या का विवरण एवं झण्डों के निर्माण एवं फहराने का लक्ष्य								
क्र0सं0	जिले का नाम	गाँवों की संख्या		नगरों की संख्या	कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार (लाख में)	घरों की संख्या (लाख में)	झण्डा फहराने का लक्ष्य (लाख में)	झण्डों के निर्माण का लक्ष्य (लाख में)
		आबाद गाँव	गैर आबाद गाँव					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	सहारनपुर	1243	329	16	34.7	6.0	4.6	5.5
02	मुजफ्फरनगर	880	139	27	41.4	6.8	5.2	6.2
03	बिजनौर	2186	798	26	36.8	6.3	4.9	5.8
04	मुरादाबाद	1550	243	17	47.7	8.0	6.1	7.4
05	रामपुर	1108	55	10	23.4	3.9	3.0	3.6
06	ज्योतिबा फूले नगर	959	164	9	18.4	3.1	2.4	2.9
07	मेरठ	604	59	18	34.4	5.8	4.5	5.3
08	बागपत	290	25	8	13.0	2.1	1.6	1.9
09	गाजियाबाद	511	36	26	46.8	8.5	6.5	7.9
10	गौतम बुद्ध नगर	304	16	13	16.5	3.3	2.5	3.0
11	बुलन्द शहर	1174	68	21	35.0	5.9	4.5	5.4
12	अलीगढ़	1170	29	24	36.7	6.1	4.7	5.6
13	हाथरस	655	14	12	15.6	2.6	2.0	2.4
14	मथुरा	730	144	25	25.5	4.2	3.3	3.9
15	आगरा	893	36	27	44.2	7.1	5.5	6.6
16	फिरोजाबाद	790	17	9	25.0	4.1	3.2	3.8
17	मैनपुरी	820	31	9	18.7	3.1	2.4	2.9
18	बदायूँ	1785	276	23	36.8	6.2	4.7	5.7
19	बरेली	1855	196	31	44.5	7.6	5.8	7.0
20	पीलीभीत	1295	140	11	20.3	3.6	2.8	3.3
21	शाहजहांपुर	2088	240	11	30.1	5.3	4.1	4.9
22	खेरी	1706	88	14	40.2	7.5	5.7	6.9
23	सीतापुर	2317	31	12	44.8	8.0	6.2	7.4
24	हरदोई	1907	163	13	40.9	7.3	5.6	6.7
25	उन्नाव	1693	102	21	31.1	5.9	4.5	5.4
26	लखनऊ	803	4	12	45.9	8.6	6.6	7.9
27	राय बरेली	1733	40	9	34.1	6.2	4.8	5.7
28	फर्रूखाबाद	872	133	9	18.9	3.1	2.4	2.9
29	कन्नौज	688	64	8	16.6	2.8	2.2	2.6
30	इटावा	686	6	6	15.8	2.8	2.1	2.6
31	औरैया	769	70	9	13.8	2.5	1.9	2.3
32	कानपुर देहात	966	63	12	18.0	3.3	2.5	3.0
33	कानपुर नगर	902	101	10	45.8	8.6	6.6	8.0
34	जालौन	942	209	10	17	2.8	2.2	2.6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
67	संत रविदास नगर	1087	130	11	15.8	2.2	1.7	2.1
68	मिर्जापुर	1745	216	10	25.0	3.9	3.0	3.6
69	सोनभद्र	1391	38	18	18.6	3.3	2.6	3.1
70	ऐटा	853	29	10	17.7	2.9	2.2	2.7
71	कांशीराम नगर	650	65	11	14.4	2.4	1.8	2.2
72	हापुड़						2.7	3.2
73	अमरोहा						2.7	3.2

क्र0सं0	जिले का नाम	गाँवों की संख्या		नगरों की संख्या	कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार (लाख में)	घरों की संख्या (लाख में)	झण्डा फहराने का लक्ष्य (लाख में)	झण्डों के निर्माण का लक्ष्य (लाख में)
		आबाद गाँव	गैर आबाद गाँव					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	झांसी	745	71	19	20	3.6	**2.8**	**3.3**
36	ललितपुर	691	61	6	12	2.2	**1.7**	**2.0**
37	हमीरपुर	497	130	7	11.0	2.0	**1.6**	**1.9**
38	महोबा	435	86	5	8.8	1.6	**1.2**	**1.5**
39	बांदा	657	37	8	18.0	3.2	**2.5**	**3.0**
40	चित्रकूट	562	94	4	9.9	1.7	**1.3**	**1.6**
41	फतेहपुर	1352	163	7	26.3	4.7	**3.6**	**4.4**
42	प्रतापगढ़	2183	34	9	32.1	5.3	**4.1**	**4.9**
43	कौशाम्बी	729	139	9	16.0	2.8	**2.1**	**2.6**
44	प्रयागराज	2809	244	25	59.5	9.8	**7.5**	**9.0**
45	बाराबंकी	1817	22	15	32.6	5.8	**4.5**	**5.3**
46	फैजाबाद	1235	29	10	24.7	4.2	**3.3**	**3.9**
47	अम्बेडकर नगर	1649	101	7	24.0	3.7	**2.8**	**3.4**
48	सुल्तानपुर	2498	29	11	38.0	6.2	**4.8**	**5.8**
49	बहराइच	1359	31	5	34.9	6.0	**4.6**	**5.6**
50	श्रीवस्ती	509	32	2	11.2	1.9	**1.4**	**1.7**
51	बलरामपुर	998	17	6	21.5	3.2	**2.5**	**3.0**
52	गोण्डा	1812	5	10	34.3	5.4	**4.2**	**5.0**
53	सिद्धार्थनगर	2336	169	8	25.6	3.8	**2.9**	**3.5**
54	बस्ती	3160	188	3	24.6	3.8	**2.9**	**3.5**
55	सन्त कबीर नगर	1582	144	6	17.2	2.6	**2.0**	**2.4**
56	महाराजगंज	1212	50	7	26.8	4.3	**3.3**	**3.9**
57	गोरखपुर	2937	382	14	44.4	6.9	**5.3**	**6.4**
58	कुशीनगर	1579	60	8	35.6	5.6	**4.3**	**5.2**
59	देवरिया	2019	143	10	31.0	4.7	**3.6**	**4.3**
60	आजमगढ़	3800	301	20	46.1	6.7	**5.1**	**6.1**
61	मऊ	1499	111	14	22.1	3.2	**2.5**	**3.0**
62	बलिया	1843	518	11	32.4	4.8	**3.7**	**4.4**
63	जौनपुर	3287	94	13	44.9	6.6	**5.1**	**6.1**
64	गाजीपुर	2740	627	8	36.2	5.5	**4.2**	**5.0**
65	चन्दौली	1425	204	11	19.5	3.0	**2.3**	**2.7**
66	वाराणसी	1258	37	39	36.8	5.6	**4.3**	**5.2**
67	संत रविदास नगर	1087	130	11	15.8	2.2	**1.7**	**2.1**
68	मिर्जापुर	1745	216	10	25.0	3.9	**3.0**	**3.6**
69	सोनभद्र	1391	38	18	18.6	3.3	**2.6**	**3.1**
70	ऐटा	853	29	10	17.7	2.9	**2.2**	**2.7**
71	कांशीराम नगर	650	65	11	14.4	2.4	**1.8**	**2.2**
72	हापुड़						**2.7**	**3.2**
73	अमरोहा						**2.7**	**3.2**

क्र0सं0	जिले का नाम	गाँवों की संख्या		नगरों की संख्या	कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार (लाख में)	घरों की संख्या (लाख में)	झण्डा फहराने का लक्ष्य (लाख में)	झण्डों के निर्माण का लक्ष्य (लाख में)
		आबाद गाँव	गैर आबाद गाँव					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	सम्भल						2.7	3.2
75	शामली						2.7	3.2
2011 के अनुसार कुल जनसंख्या एवं घरों की संख्या (लाख में)					1998.12	334.48		
सरकारी एवं गैरसरकारी प्रतिष्ठानों की संख्या (अनुमानित, लाख में)						50.00	50.00	60.00
2021 के अनुसार उ0प्र0 में अनुमानित बढ़ी हुई जनसंख्या					502.00	84		
कुल घरों एवं सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिष्ठानों की संख्या (लाख में)					2500.00	468.13	318.01	381.61

नोट– झंडों के फहराने एवं निर्माण करने का लक्ष्य २०२१ की अनुमानित जनगणना के अनुसार निर्धारित किया गया है